# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र / 2020/1415 दिनांकः– 15/3/21

## कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(212)/नविवि/3/2011 पार्ट जयपुर दिनांक 23–09–2020 के द्वारा कोविड–19 के मद्देनजर आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा–विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप विभाजन/पुनर्गठन, भू उपयोग परिवर्तन आदि हेतु जारी किये गये मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा दिनांक 15–03–2020 एवं इसके पश्चात् की है, उनमें राशि जमा कराने की अवधि दिनांक 31–03–2021 तक किये जाने की छूट प्रदान की गई है।

राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में मण्डल की योजनाओं में भी पट्टा–विलेख/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप–विभाजन/पुनर्गठन, भू–उपयोग परिवर्तन आदि से संबंधित जिन प्रकरणों में मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय सीमा दिनांक 15–03–2020 एवं इसके पश्चात् की है, उनमें राशि जमा कराने की अवधि दिनांक 31–03- 2021 तक बढ़ाए जाने के संबंध में मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/748 दिनांक 19–10–2020 बोर्ड बैठक की पूर्व प्रत्याशा में जारी किया गया है। जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति 244 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 22–12–2020 के निर्णय बिन्दु संख्या 244.29 में प्रदान की गयी।

वृत्त कार्यालयों के द्वारा उक्त सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर यह स्पष्ट किया जाता है कि पट्टा से आशय नीलामी के प्रकरणों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के मांग–पत्र/आवंटन पत्र से है। कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2020/748 दिनांक 19–10–2020 में पट्टा के स्थान पर मांग–पत्र/आवंटन पत्र मानते हुए कार्यवाही की जावे।

आवासन आयुक्त

**प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ :–**

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–........................ राजस्थान आवासन मण्डल, ......................
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–................................., रा0आ0म0, .........................................
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

D/DRB/OFFICE ORDER